# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 50/2020
पंजीयन दिनांक 15.07.2022

(1). राजेश पिता रामेश्वरलाल सोमानी निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट

बनाम

(1). किशनलाल पिता प्रथु उर्फ बरदा उर्फ बरजा मुतबन्ना जयराम जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(2). प्रथु उर्फ बरदा उर्फ बरजा मुतबन्ना जयराम जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(3). मोहनी पुत्री प्रथु पत्नी स्वर्गीय लेहरूलाल जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा हाल मुकाम कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). चंदा पुत्री प्रथु पत्नी नारायणलाल जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा हाल मुकाम पुनावता तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
(5). प्रबंधक, शाखा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(6). भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(7). नर्बदी पत्नी प्रभू जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 19/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). जगदीशचन्द व्यास-अधिवक्ता अपीलांट
(2). शिवनारायण जाट- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4, 7
(3). रेस्पोडेन्टगण संख्या 5-बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

## निर्णय

दिनांक 16.11.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा आजोलिया का खेड़ा की खाता संख्या 146 मे दर्ज आराजी संख्या 1308/1, 1308/3, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316/1336 कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 हैक्टेयर एवं मौजा पुठोली की खाता संख्या 284 मे दर्ज आराजी संख्या 1407 रकबा 0.77 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता व दादा की है जो वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 प्रथु को अपने पिता बरदा व उनके बड़े भाई जयराम से प्राप्त हुई है जिसमे मौजा आजोलिया का खेड़ा की वर्तमान आराजी संख्या 1308/1, 1308/3 जिसके साबिक आराजी संख्या 599 मीन. एवं 1311, 1312, 1313, 1314 के साबिक आराजी संख्या 600 मीन. तथा आराजी संख्या 1316/1336 के साबिक आराजी संख्या 602 है एवं मौजा पुठोली के वर्तमान आराजी संख्या 1407 के पुराने आराजी संख्या 945/1क है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का पारिवारिक सजरा भी प्रस्तुत किया। मौजा आजोलिया का खेड़ा की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात की जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 मे वर्णित खसरा संख्या के पुराने साबिक नंबरों 599 मीन, 600 मीन व 602 मे जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 मे उक्त आराजीयात जयराम व बरजा पिता सवाईराम जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी एवं मौजा पुठोली की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के साबिक आराजी संख्या 945/1क मीन बरजा पिता सवाईराम ने रामप्रतापसिंह से दिनांक 14.03.1961 को खरीद की थी जिसके बाद उक्त आराजी भी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासती हक से प्राप्त हुई थी जो बरजा के दोनो विधिक पुत्र प्रथु व भुवाना को अपने हक अनुसार जयराम के लाऔलाद फोत होने पर उसका हक हिस्सा बरदा के बडे पुत्र प्रथु को एवं भुवाना की मृत्यु के पश्चात उसका हक हिस्सा बरदा के छोटे पुत्र भुवाना को विरासती हक से प्राप्त हुई जिससे उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जिसमे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मौजा आजोलिया का खेड़ा की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे 0.24 हैक्टेयर एवं मौजा पुठोली की उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीया तमे 0.154 हैक्टेयर हक हिस्सा जन्म से निहित है लेकिन वर्तमान मे राजस्व रेकॉर्ड मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिससे वादपत्र इन्द्राज दुरूस्ती, खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसके निहित हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम अंकित किये जाने व राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज दुरूस्त कर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात को दीगर को किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते जवाब विशेष कथन नियत की गई। दिनांक 29.05.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आजोलिया का खेड़ा की आराजी संख्या 1308/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर को छोड़कर शेष सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा स्वयं को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 से प्रभावित होना बताकर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमती प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 7 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर लोक अदालत के तहत वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वादपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अपीलांट द्वारा उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे से मौजा आजोलिया का खेड़ा की आराजी संख्या 1308/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की जाकर जरिये नामान्तरण संख्या 926 दिनांक 15.01.2015 से उक्त क्रयशुदा आराजीयात अपीलांट के नाम खातेदारी मे दर्ज हो जाने से अपीलांट को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आवश्यक पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अपीलांट को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार के रूप मे संयोजित नहीं किये जाने से अपीलांट को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण की जानकारी नही होने से अपीलांट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपना पक्ष नही रख सका। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जो कि अपीलांट को बिना सुने लोक अदालत के तहत पारित की गई है । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है जिसे सुना जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होने के बावजूद स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य हे। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 व 7 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी सख्या 6 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मौजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया । दिनांक 29.05.2015 को लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर मौजा आजोलिया का खेड़ा की आराजी संख्या 1308/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर जो कि अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की जाने व राजस्व रेकॉर्ड मे जरिये नामान्तरण संख्या 926 दिनांक 15.01.2015 अपीलांट के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी मे दर्ज हो जाने से अपीलांट की उक्त कयशुदा आराजीयात को छोड़कर शेष सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे इन्द्राज विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे सहखातेदारी मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 को विधि सम्मत होना बताकर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात की घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.05.2015 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे से मौजा आजोलिया का खेड़ा की आराजी संख्या 1308/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर जो कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलांट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय की जाने व उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 926 दिनांक 15.01.2015 से अपीलांट की कयशुदा उक्त आराजीयात अपीलांट के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज होने से अपीलांट की उक्त कयशुदा आराजीयात के अलावा शेष सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के 1/5, 1/5 हिस्से का वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 प्रत्येक को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...स्ती कर अपीलांट की उक्त कयशुदा आराजीयात के अलावा शेष सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे राजस्व रेकॉर्ड मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का नाम अंकन किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट की कयशुदा आराजी के संबंध मे ऐसा कोई निर्णय व आदेश अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे नहीं पारित किया गया है जिससे अपीलांट की कयशुदा आराजी के संबंध मे उसका हित प्रभावित होता हो, जिससे अपीलांट अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी मे अंकित तथ्य विश्वसनीय नही होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के आधार पर एवं गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरूप अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 19/20215 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2015 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्यांक 9

**अपील में डिक्री**

**(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)**

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी :** हरिसिंह मीना (आर. ए. एस.)

**अपील सं.** 50/2020 **/डिक्री**

| | | |
|---|---|---|
| ① श्री राजेश पिता रामेश्वरलाल सोमानी निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। | बनाम | ① श्री किशनलाल पिता पृथु उर्फ बरदा उर्फ बरजा मुतबन्ना जयराम जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़। ② पृथु उर्फ बरदा उर्फ बरजा मुतबन्ना जयराम जाति जाट निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़। |
| -अपीलान्ट | | -रेस्पोडेन्ट |

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गंगरार दि. 29-05-2015 प्रकरण सं. 19/2015 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 16-11-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश व्यास रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री शिवनारायण जाट-अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 4, 7 रेस्पो. सं. 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि - (6) पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधि. रेस्पो.

अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 19/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 29-05-2015 यथावत रखे जाते हैं।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ......—...... रुपये हैं, ......—...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ......—...... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 16-11-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

[signature]

श्री हरिसिंह मीना (आर. ए. एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

**दिनांक :** 16-11-2022 **अपील खर्चे :**

| अपीलान्ट | रूपये | रेस्पोडेन्ट | रूपये |
|---|---|---|---|
| 1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प | | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. आदेशिकाओं की तामील | | 3. आदेशिकाओं की तामील | |
| 4. ................ रू. पर प्लीडर की फीस | | 4. ................ रू. पर प्लीडर की फीस | |
| योग | | योग | |

P.T.O.